84 बिजली चोरों को सजा, 5.6 करोड़ जुर्माना

नई दिल्लीः 1 अगस्त, 2014। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए, पिछले 18 महीनों में, स्पेशल कोर्ट्स ने 84 बिजली चोरों को सजा दी है, और उन पर 5.6 करोड़ रूपये का जुर्माना किया है।

जिन 84 लोगों को बिजली चोरी में सजा सुनाई गई है, उनमें से 45 बिजली चोरों को जेल भेजा गया है, माननीय न्यायाधीशों ने बिजली चारों के खिलाफ अधिकतम तीन साल तक की जेल का आदेश दिया है।

45 बिजली चोरों को जेल भेजने के अलावा, माननीय न्यायाधीशों ने 18 लोगों को कोर्ट के खत्म होने तक कठघरे में खड़े रहने की सजा सुनाई। इसे कानूनी भाषा में *सेंटेन्स्ड टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट* कहा जाता है।

इसके अतिरिक्त, 13 अन्य बिजली चोरों को सर्शत जेल की सजा सुनाई गई। न्यायाधीशों ने अपने आदेश में कहा कि अगर वे जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तब उन्हें जेल भेजा जाएगा।

कड़कड़डूमा, साकेत और द्वारका स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट्स ने बिजली चोरों के खिलाफ ये आदेश दिए हैं। जेल भेजे गए लोगों में उद्योगपति, व्यवसायी, बोतल यूनिट का मालिक, फैक्टरी मालिक और दुकानदार, और घरेलू उपभोक्ता–– सभी वर्गों के लोग शामिल हैं।

पिछले 18 महीनों में सजा पाए 84 मुजरिमों में 78 लोगों को कटिया डालकर बिजली चोरी करते पकड़ा गया था, जबकि 5 लोग मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली की चोरी कर रहे थे, और 1 व्यक्ति बीएसईएस के बिजली उपकरणों को चुराते हुए पकड़ा गया था।

इन बिजली चोरों में 29 लोग व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ता थे, जबकि 28 लोग डोमेस्टिक श्रेणी के और 27 व्यक्ति औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता थे।

बिजली चोरी के जिन मामलों में जजों ने सजा सुनाई है, उनमें से 17 मामले मध्य और पूर्वी दिल्ली से थे, जबकि 39 मामले पश्चिम दिल्ली से और 27 मामले दक्षिण दिल्ली से थे।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक– बिजली चोरी एक सामाजिक बुराई है, जिससे ईमाइदार उपभोक्ताओं का नुकसान होता है। बीएसईएस ने अपने सभी 34 लाख उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इसके खिलाफ खड़े हों और 399 99 707– बीआरपीएल और 399 99 808 – बीवाईपीएल पर बिजली के बारे में बताएं। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल व बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।